बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)

कार्यालय आदेश

आदेश संख्या – 12/चक0 मु0–05–05/2005 879/चक0, पटना, दिनांक 18/09/2019

चकबंदी निदेशालय अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रीय कार्यलयों में कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मियों को बिहार राज्य सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन नियमावली'2003 एवं रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के प्रावधानों के आलोक में वृत्ति उन्नयन का लाभ देने हेतु दिनांक 09.08.2019 को प्रोन्नति–सह–स्क्रीनिंग समिति की बैठक आहुत की गयी थी, जिसमें समिति के अनुशंसा के आलोक में अनुशंसित कर्मियों के नाम के सामने अंकित तिथि से वेतनमान/ग्रेड पे/मैट्रिक्स पे–लेवल में सुनिश्चित वृति उन्नयन नियमावली, 2003 के तहत सेवा अवधि 12 एवं 24 वर्ष पूर्ण होने पर तथा रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत सेवा अवधि 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति दी गई है।

अनुशंसित कर्मियों में क्रम सं0 09 पर श्री हीरालाल पाण्डेय, अमीन सम्प्रति सेवानिवृत चकबंदी कार्यालय, राजपुर (बक्सर) को दिनांक 09.08.99 के प्रभाव से प्रथम ए0सी0पी0 वेतनमान 4000–6000 में, दिनांक 09.08.99 के प्रभाव से ही द्वितीय ए0सी0पी0 वेतनमान 4500–7000 में तथा दिनांक 01.01.2009 के प्रभाव से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतनमान 9300–34800 (ग्रेड पे 4200) में स्वीकृति दी गई है, परंतु अभ्युक्ति में उल्लिखित है कि ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 स्वीकृति आदेश सेवा सम्पुष्टि के उपरांत ही निर्गत की जाएगी।

चकबंदी निदेशालय के पत्रांक 797/चक0 दिनांक 28.08.2019 द्वारा श्री हीरालाल पाण्डेय, अमीन सम्प्रति सेवानिवृत्त, चकबंदी कार्यालय, राजपुर (बक्सर) को अमीन के पद पर नियुक्ति की तिथि 25.08.1971 से 10 वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 25.08.1981 के प्रभाव से सेवा सम्पुष्ट की गई है।

अतः सेवा सम्पुष्टि उपरांत श्री हीरालाल पाण्डेय, अमीन सम्प्रति सेवानिवृत्त को उनके नाम के सामने कॉलम 05, 06 एवं 07 में अंकित तिथि से वेतनमान/ग्रेड पे/मैट्रिस पे–लेवल में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन नियमावली, 2003 के तहत सेवा अवधि के 12 वर्ष एवं 24 वर्ष पूर्ण होने पर तथा रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अन्तर्गत सेवा अवधि 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है–

क्र0	नाम/ पदनाम/ जन्मतिथि/ सेवानिवृत्ति तिथि	वर्त्तमान/ अंतिम पदस्थापन	नियुक्ति की तिथि/ सेवा सम्पुष्टि की तिथि	देय ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 तिथि एवं वेतनमान (ग्रेड पे सहित)/मैट्रिक्स पे-लेवल		
				प्रथम ए0सी0पी0	द्वितीय ए0सी0पी0	तृतीय एम0सी0पी0
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री हीरा लाल, पाण्डेय, अमीन सम्प्रति सेवानिवृत्त 11.01.1951 31.01.2011	चकबंदी कार्यालय, राजपुर (बक्सर)	25.08.1971 25.08.1981	09.08.1999 4000–6000	09.08.1999 4500–7000	01.01.2009 9300–34800 4200

2. किसी भी समय यह पाया जाएगा कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के फलस्वरूप अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया है तो अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जाएगी।
3. सुनिश्चित/रूपांरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ मात्र उच्चतर वेतनमान/उच्चतर ग्रेड पे तक ही सीमित है। यह कोई नियमित प्रोन्नति नहीं है।
4. प्रस्ताव पर निदेशक, चकबंदी का अनुमोदन प्राप्त है।

18/9/19

संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु0)
बिहार, पटना।

आदेश ज्ञापांक– 12/चक0 मु0–05–05/2005 879/चक0, पटना, दिनांक 18/09/2019
प्रतिलिपि :– चकबंदी पदाधिकारी, राजपुर (बक्सर)/ श्री हीरालाल पाण्डेय, अमीन सम्प्रति सेवानिवृत चकबंदी कार्यालय, राजपुर (बक्सर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/9/19

संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु0)
बिहार, पटना।

30.08.2019 06:02 PM